न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर०ए०एस० (प्रशिक्षु)
राजस्व वाद संख्या : 485/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. यूनिट राबड़ियावास, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) जरिये अध्यक्ष पॉवर ऑफ अर्टोनी होल्डर श्री राजेश सी. कोठारी पुत्र श्री चम्पालाल कोठारी		1. पुरी देवी पत्नी आसू जाति राईका निवासी राबड़ियावास तहसील–जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

तारीख रजू:.25/07/2016

- उपस्थितः. 1. श्री चावण्दान चारण, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 14/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. युनिट राबड़ियावास का एक सीमेंट उघोग अम्बुजा सीमेन्टस् लि. यूनिट राबड़ियावास के नाम से सरहद मौजा–राबड़ियावास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थापित है, कार्यरत है व उत्पादनरत है। उक्त अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. युनिट राबड़ियावास, कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध है। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यो के लिए बतौर संयुक्त अध्यक्ष श्री राजेश सी. कोठारी नियुक्त व कार्यरत है। कम्पनी के द्वारा उघोग प्रयोजनार्थ रेलवे प्रोजेक्ट के लिये खरीद की गई भूमि के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है व वाद पेश करने के लिये कम्पनी का अधिकार पत्र वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक भाग माना जावे। सरहद मौजा राबड़ियावास पटवार हल्का राबड़ियावास तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 754/2 रकबा 04–00 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके है जिसमें वादी कम्पनी सम्पूर्ण भूमि पर पर्सनल रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी से उक्त भूमि खरीद की थी जिस पर वादी कम्पनी सम्पूर्ण भूमि पर खरीद से आज तक कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। जिसमें वादी कम्पनी द्वारा रीको को अपने खरीद भूमि में से अलग तरमीम सुदा भूमि 754/3 रकबा 01–15 बीघा रीको के नाम अवाप्ति होने से वादी कम्पनी की भूमि खसरा नम्बर 754/2 रकबा 04–00 बीघा किस्म बारानी दोयम में से वर्तमान में 02–05 बीघा किस्म बारानी दोयम शेष है। जिस पर वादी कम्पनी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है। मगर वादी कम्पनी की भूमि में प्रतिवादी का कोई हिस्सा नहीं है। फिर भी प्रतिवादी स्थानीय निवासी होने से वादी कम्पनी की भूमि में दखलंदाजी करने की धमकी देते है व बेदखल करने को आमादा है विवादित

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

आराजी को वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि संवत् 2069–2072 की जमाबंदी खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की प्रति वाद के साथ पेश है जिसे वाद का एक भाग माना जावें। आराजी के खसरा नम्बर 754/2 रकबा 02–05 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके है जिसमें वादी कम्पनी सम्पूर्ण भूमि पर पर्सनल रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी उक्त भूमि के पड़ौस के आस पास के खातेदार काश्तकार नहीं है। वादी एक कम्पनी का प्रशासनिक अधिकारी है हमेशा कार्य में व्यस्त रहता है प्रतिवादी स्थानीय निवासी है जो हमेशा कम्पनी के अधिकारियों व कर्मचारियों को परेशान करते रहते है एंव वादी कम्पनी की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने, मौके से बेदखल करने की धमकी देते रहते है व कब्जा व मौके से वादी कम्पनी को बेदखल करने को आमादा है। आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 754/2 रकबा 02–05 किस्म बारानी दोयम का पर्सनल खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी बाधा पैदा करने की कोई कानूनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है वादी को अपूर्णीय क्षति होगी प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार–बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिग्स होगी, इसलिए वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादी के पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग लिया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–राबड़ियावास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बाजुद वकालतनामा पेश नही करने व प्रतिवादी को आवाजे दिलाई जाने बावजुद अनु. रहने से प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। खसरा नम्बर 745/2 में वादी खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। प्रति वादी खसरा नम्बर 745/2 में सहखातेदार काश्तकार दर्ज नही हैं। माफिक हक हिस्से अनुसार वादी अपनी भूमि पर काश्त करे या करावें एवं काश्त मुतालिक कार्य करें, तो प्रतिवादी स्वयं एवं उनके हाली एजेन्ट, नौकर, चाकर इत्यादि को दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। सरहद राजस्व सरहद मौजा राबड़ियावास पटवार हल्का राबड़ियावास तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 754/2 रकबा 02–05 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादी अपनी आराजी का खातेदार काश्तकार हैं। माफिक खातेदार काश्तकार वादी अपनी भूमि पर काश्त करे या करावें एवं काश्त मुतालिक कार्य करें, तो प्रतिवादी स्वयं उनके हाली एजेन्ट, नौकर, चाकर इत्यादि को दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाकर पाबन्द किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)

निर्णय आज दिनॉक 014/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-सबड़ियावास पर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)